



प्रेस रिलीज़

नई दिल्ली, 22 जून 2018

‘स्मार्ट सिटीज़ मिशन’ पर नई रिपोर्ट जारी

22 जून 2018 को नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में हाउसिंग ऐण्ड लैन्ड राइट्स नेटवर्क ने केंद्र सरकार के स्मार्ट सिटीज़ मिशन पर अपनी ताज़ा रिपोर्ट जारी की। ‘इंडियाज़ स्मार्ट सिटीज़ मिशन : स्मार्ट फॉर हूम? सिटीज़ फॉर हूम?’ (भारत का स्मार्ट सिटीज़ मिशन : किसके लिए स्मार्ट? किसका शहर?) नामक इस रिपोर्ट का लोकार्पण दिल्ली उच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति ए.पी. शाह को करना था मगर वह अपरिहार्य कारणों से कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाए। फिर भी, उन्होंने रिपोर्ट की सराहना करते हुए एक संदेश भेजा जिसमें कहा गया था कि “एचएलआरएन ने मानवाधिकारों की दृष्टि से कुछ बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं जिन पर स्मार्ट सिटीज़ मिशन को गंभीरता से ध्यान देना चाहिए।” इस मौके पर डॉ. पार्था मुखोपाध्याय, (सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च), सुश्री सुनीता धर (जागोरी), शिवानी चौधरी (हाउसिंग ऐण्ड लैन्ड राइट्स नेटवर्क) सहित कई जाने-माने विशेषज्ञों ने इस मिशन के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। इस रिपोर्ट का सारांश, मुख्य सिफारिशें और नतीजे नीचे दिए गए हैं।

स्मार्ट सिटीज़ मिशन

भारत सरकार का स्मार्ट सिटीज़ मिशन जून 2015 में लॉन्च किया गया था। इस मिशन के तहत ये तय किया गया था कि साल 2020 तक देश भर के 100 शहरों को ‘स्मार्ट सिटीज़’ के रूप में विकसित किया जाएगा। अब यह समय सीमा बदल कर 2023 कर दी गई है। जून 2018 तक केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय ने देश भर में ‘स्मार्ट सिटीज़’ के तौर पर विकसित करने के लिए 99 शहरों को चुन लिया है। ये शहर इंडिया स्मार्ट सिटीज़ चैलेंज की प्रतिस्पर्द्धा रूपरेखा के तहत चुने गए हैं। न्यू टाउन कोलकाता ने इस मिशन से खुद को अलग कर लिया है। शिलौन्न को प्रस्तावित 100वां शहर तय किया गया था मगर अभी इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि यह शहर मिशन का अधिकृत हिस्सा होगा या नहीं।

25 जून 2018 को इस मिशन को तीन साल पूरे हो जाएंगे। इस मौके पर हाउसिंग ऐण्ड लैन्ड राइट्स नेटवर्क, भारत (एचएलआरएन) ने अपनी यह रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में मुख्य रूप से इस बात पर विचार किया गया है कि इस मिशन पर अभी तक कितना काम हुआ है, इससे भारत के शहरी विकास में क्या मदद मिल रही है और इससे शहरी आबादी के हाशियाई तबकों पर क्या असर पड़ रहा है। एचएलआरएन द्वारा किए गए अध्ययन में 99 चुने गए स्मार्ट सिटीज़ प्रस्तावों का विश्लेषण किया गया है और मिशन के बारे में प्रचार माध्यमों, सरकारी तथा अन्य रिपोर्टों में आई विस्तृत समीक्षाओं का भी जायज़ा लिया गया है।

एचएलआरएन अध्ययन के मुख्य नतीजे

1. **स्मार्ट सिटीज़ मिशन के अंतर्गत भारत की कुल आबादी का केवल 8 प्रतिशत यानी शहरी आबादी के केवल 22 प्रतिशत को लाभ मिलेगा।** स्मार्ट सिटीज़ पर कुल 2.04 लाख करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव रखा गया था जिसमें से 80 प्रतिशत रकम ‘क्षेत्र आधारित विकास’ (एरिया बेस्ड डेवलपमेंट-एबीवी) पर खर्च की जाएगी। इस मद में केवल 86 शहरों के बारे में ही आंकड़े उपलब्ध हैं। एचएलआरएन द्वारा की गई गणनाओं से पता चलता है कि एबीवी के तहत जो क्षेत्रफल कवर किया जा रहा है वह भी इन 86 में से 49 शहरों के 5 प्रतिशत क्षेत्रफल से भी कम है। आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय के आकड़ों से पता चलता है कि 2018 में भारत के शहरों में रहने वाली 45 करोड़ आबादी में से केवल 9.95 करोड़ लोग ही इस मिशन के तहत कवर किए जाएंगे।
2. **ग्रामीण-शहरी कड़ियों को जोड़ने में विफलता।** इस मिशन में ये दावा किया गया था कि इससे भारत के तेज शहरीकरण की चुनौतियों से निपटने में मदद मिलेगी। मगर कुल मिलाकर यह मिशन बहुत संकुचित दिखाई पड़ रहा है। यह मिशन भी इस बेतुकी नीतिगत मान्यता पर आधारित है कि ‘शहरीकरण तो अपरिहार्य है’ यानी शहरीकरण तो होना ही है और होना ही चाहिए। सरकार ने मजबूरी और जबर्दस्ती होने वाले विस्थापन व पलायन पर रोक लगाने के लिए सुनियोजित उपाय करने की जिम्मेदारी से पूरी तरह पल्ला झाड़ लिया है।

3. मानवाधिकार आधारित मानकों एवं निगरानी संकेतकों का अभाव। परियोजना विकास एवं क्रियान्वयन के लिए आवास, पानी, स्वच्छता, स्वास्थ्य, पर्यावरण और टिकाऊपन सहित विभिन्न मानकों के अभाव से इस बारे में सवाल उठ जाते हैं कि क्या यह मिशन वाकई अपने लक्ष्य हासिल कर पाएगा और सभी शहरी निवासियों के अधिकारों व सुविधाओं को साकार कर सकेगा।
4. लैंगिक समानता और भेदभाव-मुक्त रूपये का अभाव। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों सहित विभिन्न हाशियाई समूहों पर बहुत कम ध्यान दिया जा रहा है। इस मिशन में जातिगत भेदभाव पर चुप्पी तो खासतौर से आश्चर्यजनक है। ज्यादातर स्मार्ट सिटी प्रस्तावों में महिलाओं, बच्चों, विकलांगों और बुजुर्गों के बारे में यहां-वहां उल्लेख मिल जाता है मगर मिशन के दस्तावेजों में संरचनागत भेदभाव को दूर करने और शहरों में इन समूहों के साथ होने वाली हिंसा को रोकने के लिए एक समुचित अधिकार आधारित पद्धति का अभाव साफ दिखाई देता है।
5. अपर्याप्त सहभागिता और सूचना। तकरीबन प्रत्येक शहर के स्मार्ट सिटी प्रस्ताव में इस बात का ज़िक्र किया गया है कि शहर के निवासियों को साथ लेकर ही काम किया जाएगा मगर स्मार्ट सिटी प्रस्तावों को तैयार करने में शहर के लोगों, खासतौर से निम्न आय समुदाय के लोगों की सहभागिता बहुत कम रही है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि जनसुनवाइयों के दौरान लोगों से जो राय/सलाह ली गई, उनका अंतिम प्रस्तावों को तैयार करने के लिए विचार किया गया या नहीं।
6. आवास को मानवाधिकार का दर्जा नहीं दिया गया है। तकरीबन सभी प्रस्तावों में इस बात का ज़िक्र किया गया है कि आर्थिक रूप से कमज़ोर तबकों (इकोनॉमिकली वीकर सेक्षंस-ईडब्ल्यूएस) और निम्न आय समूहों (लो इनकम ग्रुप-एलआईजी) को मकान मुहैया कराने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा मगर सभी शहरों ने इस पर अलग-अलग तरह का रवैया अपनाया है। कई प्रस्तावों में निम्न आय बस्तियों को ‘खतरे’ या ‘कमज़ोरी’ के रूप में भी चिह्नित किया गया है। मगर, किसी भी शहर के प्रस्ताव में न तो आवास को एक मानवाधिकार के रूप में मान्यता दी गई है और न ही ‘पर्याप्त’ आवास के मानक तय किए गए हैं।
7. जबरन बेदखली, जमीन के अधिग्रहण और विस्थापन का खतरा। 2017 में एचएलआरएन ने अब तक चुने गए 99 स्मार्ट सिटीज़ में से 32 शहरों में लोगों को जबरन उजाड़े जाने और घरों को तोड़ने की बहुत सारी घटनाओं को दर्ज किया था। इनमें से कुछ अभियान ‘स्मार्ट सिटी’ परियोजनाओं से जुड़े हुए थे जबकि कई जगह बस्तियों को तोड़ने के लिए ‘शहर के सौंदर्यीकरण’ से लेकर ‘स्लम्स के सफाए’ तक तरह-तरह के तर्क दिए गए थे। कई शहर ‘स्लम-फ्री’ बनने की बात करते हैं मगर उनकी योजनाएं इस बारे में चुप हैं कि इसके लिए कितने मकान टूटेंगे या हर साल कितने लोग बेघर होंगे। जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक स्लम-फ्री शहर बनाने के नाम पर गरीब बस्तियों को गैर-कानूनी ढंग से उजाड़ा जाता रहेगा और गरीबों के घर तोड़े जाते रहेंगे। 99 स्मार्ट सिटीज़ की सूची में से 8 शहरों में ग्रीनफील्ड डेवलपमेंट का भी प्रस्ताव रखा गया है। इसकी वजह से जमीन के अधिग्रहण का खतरा पैदा हो गया है जिसके चलते लोगों के खेत नष्ट हो जाएंगे और बहुत सारे किसान और अन्य ग्रामीण लोगों को गांव छोड़कर जाना पड़ेगा।
8. अमीर-गरीब बस्तियों में फर्क और अभिजात्यीकरण की बढ़ती संभावना। इन ‘स्मार्ट शहरों’ के विकास की लागत इन इलाकों में रहने वाले ज्यादातर लोगों को उठानी पड़ेगी मगर हो सकता है कि वे सभी बहुत संपन्न न हों। पुणे जैसे कुछ शहरों में पानी तथा अन्य अनिवार्य सेवाओं की दर में इजाफे जैसे कदम पहले ही उठाए जाने लगे हैं। ‘स्मार्ट सिटीज़’ का दर्जा मिलने के कारण इन शहरों में मकानों की कीमतें बढ़ने लगेंगी, जिससे बाजार के दबाव में भी गरीब बस्तियों को उजाड़ा जाएगा और स्मार्ट मोहल्लों व इलाकों का अभिजात्यीकरण (जेट्रीफिकेशन) होने लगेगा।
9. लोकतंत्र को कमज़ोर करना और शासन के निजीकरण का बढ़ता रूपया। एससीएम के दिशानिर्देशों में कहा गया है कि प्रत्येक ‘स्मार्ट सिटी’ को एक ‘स्पेशल पर्पज वेहिकल’ नामक निकाय का गठन करना होगा। इस निकाय की स्थापना कम्पनी कानून, 2013 के तहत एक लिमिटेड कंपनी के रूप में की जाएगी। इस प्रावधान को संविधान (74वां संशोधन) अधिनियम, 1992 का उल्लंघन माना जा रहा है जिसके तहत स्थानीय निकायों और शहरी नगरपालिकाओं को विशेष अधिकार दिए गए थे। स्पेशल पर्पज वेहिकल के तहत जो नई व्यवस्था विकसित की जा रही है वह इन स्थानीय निकायों के अधिकारों को बहुत कम कर देगी।
10. डिजिटलीकरण के जोखिम और प्राइवेसी की लिए खतरा। व्यक्तिगत पहचान से संबंधित सूचनाओं को जमा करने और नागरिकों की पारिवारिक सूचनाओं को इकट्ठा करने की नई उभरती तकनीकों के इस्तेमाल से इस बारे में गंभीर चिंता पैदा हुई है कि स्मार्ट सिटीज़ में इन सूचनाओं के दुरुपयोग के माध्यम से लोगों की प्राइवेसी का भारी उल्लंघन हो सकता है। इसके अलावा, लगातार बढ़ती निगरानी और व्यक्तिगत डेटा पर नियंत्रण के चलते सूचनाओं तक पहुंच के अधिकार और सुरक्षा के अधिकार पर खतरा पैदा होता जा रहा है।

11. पर्यावरण संबंधित चिंताएं। हालांकि स्मार्ट सिटी प्रस्तावों में पर्यावरणीय टिकाऊपन पर काफी कुछ कहा गया है मगर इस मिशन में विकास का जो मॉडल अपनाया जा रहा है उससे 'स्मार्ट सिटीज़' के पारिस्थितिकीय प्रभाव बहुत व्यापक हो सकते हैं। इस मॉडल की वजह से इलेक्ट्रॉनिक कचरे में इजाफा होगा और ग्रीनफॉल्ड डेवलपमेंट तथा बुनियादी परियोजनाओं के नाम पर जंगलों के सफाये की आशंका पैदा हो गई है।
12. विदेशी निवेश पर भारी निर्भरता के साथ शहरों का बढ़ता कॉरपोरेटाइज़ेशन। अनुमान लगाया जाता है कि स्मार्ट सिटीज़ मिशन के क्रियान्वयन के लिए अगले कुछ साल के दौरान तकरीबन 150 अरब डॉलर के निवेश की जरूरत होगी जिसमें से 120 अरब डॉलर (कुल पूँजीगत व्यय का 80 प्रतिशत) निजी क्षेत्र से आएगा। फलस्वरूप, चुने गए शहर विभिन्न प्रकार की सार्वजनिक-निजी साझेदारियों (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप-पीपीपी) मॉडल के अनुसार बड़ी कंपनियों के साथ करार करके पैसा जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी कंपनियों में कई विशाल बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी शामिल हैं। इस तरह की कंपनियां इन साझेदारियों की सबसे बड़ी लाभान्वित होंगी। कई देशों और बहुपक्षीय एवं द्विपक्षीय एजेंसियों ने इस मिशन में निवेश करने का प्रस्ताव रखा है। अभी तक कितनी रकम आई है और इस तरह का निवेश किन शर्तों पर आ रहा है, यह अभी किसी को पता नहीं है। लिहाज़ा इस बारे में एक गंभीर चिंता पैदा हुई है कि 'स्मार्ट सिटी' परियोजनाओं से संबंधित फैसलों और नतीजों पर स्थानीय नगरपालिकाओं का नियंत्रण कितना होगा।
13. दूसरी योजनाओं के साथ तालमेल का अभाव। शहरी विकास के उद्देश्य से स्मार्ट सिटीज़ मिशन के साथ-साथ कई दूसरी राष्ट्रीय योजनाएं भी लागू की जा रही हैं। इन योजनाओं में बड़े पैमाने पर पैसा खर्च किया जा रहा है। अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन ऐण्ड अर्बन ट्रांसफॉरमेशन (अमृत), स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन आदि कई योजनाएं हैं जो शहरी विकास के लिए लागू की जा रही हैं। इन योजनाओं की समीक्षा से पता चलता है कि इन योजनाओं के तहत लक्ष्यों का चुनाव अलग-अलग नहीं है और इनमें से कई योजनाओं का कार्यक्षेत्र भी समान है। चुने गए 99 'स्मार्ट सिटीज़' में से 92 शहर अमृत योजना के तहत भी आते हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब अमृत योजना पहले ही उन शहरों में लागू की जा रही है तो 'स्मार्ट सिटीज़' मिशन क्या नया योगदान देगा? या यह पहले किए गए प्रयासों को ही दोहराने की एक कावायद भर है?
14. क्रियान्वयन की सुस्त रफ्तार। मार्च 2018 में संसद की शहरी विकास स्थायी समिति ने बताया था कि सारी शहरी योजनाओं में 'स्मार्ट सिटी' मिशन पर खर्च सबसे धीमा रहा है। मिशन की परियोजनाओं का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि मार्च 2018 तक इस मिशन के तहत खर्च होने वाली कुल राशि (1,39,038 करोड़ रुपये) में से केवल 4,583 करोड़ रुपये (3%) ही खर्च हुआ है और मिशन के तहत जिन 3008 परियोजनाओं की सूची बनाई गई थी उनमें से भी केवल 8% ही पूरी हो पाई हैं।
15. कुछ शहरों में सकारात्मक बदलाव भी आए हैं। ग्वालियर में हैरिटेज स्थलों का स्तरोन्नयन, दीव में सौर-ऊर्जा उत्पादन, भुबनेश्वर में बच्चों के लिए अनुकूल योजनाएं, जबलपुर में कचरा प्रबंधन परियोजना और काकीनाड़ा में शौचालयों के निर्माण की योजना उल्लेखनीय हैं। 'स्मार्ट सिटी' परियोजनाओं के पूरा होने की कसौटी पर सूरत शहर अभी तक सबसे आगे दिखाई देता है। मगर एक समग्र रूपरेखा के अभाव में, खासतौर से प्रमुख संकेतकों और परिणामों के परिप्रेक्ष्य में मिशन की प्रगति का पूरा जायज़ा लेना मुश्किल है।

सिफारिशें

एचएलआरएन द्वारा किए गए स्मार्ट सिटीज़ के विश्लेषण में सबसे महत्वपूर्ण बात यह सामने आई है कि इस मिशन में शहरी गरीबों और हाशियाई तबकों की उपेक्षा की जा रही है और मानवाधिकारों पर आधारित पद्धति बिलकुल नहीं अपनाई जा रही है। हाउसिंग ऐण्ड लैन्ड राइट्स नेटवर्क ने 'स्मार्ट सिटीज़' मिशन से जुड़ी सभी एजेंसियों और सरकार के लिए ये सुझाव और सिफारिशें दी हैं :

1. 'स्मार्ट सिटीज़ मिशन' के क्रियान्वयन और निगरानी के लिए मानवाधिकार आधारित रूपरेखा अपनाई जाए ताकि इसके लक्ष्यों की प्राप्ति का आकलन किया जा सके और ये सुनिश्चित किया जा सके कि सभी 'स्मार्ट सिटी' प्रॉजेक्ट राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार हों और मानवाधिकारों तथा पर्यावरण को बढ़ावा दें।
2. 'स्मार्ट सिटीज़ मिशन' में हाशियाई व्यक्तियों, समूहों व समुदायों की जरूरतों, चिंताओं और अधिकारों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए।
3. सभी एससीएम शहरों में 'स्मार्ट सिटी' परियोजनाओं के चयन और क्रियान्वयन के लिए स्थानीय नागरिकों को सार्थक प्राथमिकता दी जानी चाहिए। 'स्मार्ट सिटी' परियोजनाओं से प्रभावित होने वाले सभी लोगों की स्वतंत्र, क्रियान्वयन-पूर्व और सचेत सहमति जरूर ली जाए। यह सहमति परियोजना के चयन और विकास से पहले हासिल कर ली जानी चाहिए।

4. इस मिशन के तहत आने वाली सभी परियोजनाओं की स्वीकृति से पहले एक मानवाधिकार आधारित प्रभाव आकलन और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन किया जाना चाहिए।
5. यह सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं कि ‘स्मार्ट सिटी’ परियोजनाओं से किसी के मानवाधिकारों की अवहेलना न हो, लोगों को जबरन उजाड़ा न जाए, लोगों को विस्थापित न किया जाए और उन्हें अपना घर छोड़कर जाने को बाध्य न किया जाए।
6. सभी स्मार्ट सिटी प्रस्तावों में किफायती मकान मुहैया कराने पर खासतौर से ज़ोर दिया जाना चाहिए। इसके लिए पीएमएवाई/सबके लिए आवास, 2022 के लक्ष्य को ध्यान में रखा जाना चाहिए। सभी शहरों को स्पष्ट आय आधारित कसौटियों के अनुसार किफायती आवास को परिभाषित करना होगा। निम्न आय बस्तियों को नष्ट करने के लिए पुनर्वास और स्लम-मुक्त शहर परियोजनाओं की आड़ नहीं ली जानी चाहिए।
7. नागरिकों की प्राइवेसी के अधिकार की रक्षा के लिए, लोगों पर निगरानी और उनसे संबंधित डेटा के दुरुपयोग को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। भारत सरकार को डिजिटलीकरण के बढ़ते खतरे के खिलाफ डेटा संबंधी सार्थक और स्पष्ट कानून बनाने होंगे।
8. इस मिशन को लागू करने के लिए जिन स्पेशल पर्पज वेहिकल नामक निकायों के गठन की बात की जा रही है, उन्हें भारत के संविधान के तहत दी गई लोकतांत्रिक रूपरेखा के तहत ही काम करना चाहिए और उन्हें स्थानीय नगरपालिकाओं व नगर निकायों का सम्मान करना चाहिए।
9. ‘स्मार्ट सिटी’ परियोजनाओं से जुड़े कॉरपोरेट सेक्टर और बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भूमिका पर कड़ी नजर रखी जानी चाहिए ताकि वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करें। अनिवार्य सेवाओं का निजीकरण रोका जाना चाहिए।
10. सभी सरकारी योजनाओं और संबंधित मंत्रालयों के बीच बेहतर तात्प्रेरण बहुत आवश्यक है। सभी योजनाओं की समन्वित निगरानी के लिए मानवाधिकारों के सार्वभौमिक संकेतक विकसित किए जाने चाहिए।
11. भारत सरकार को विकसित किए जा रहे जीवन क्षमता सूचकांक (लिवेबिलिटी इन्डेक्स) के तहत मानवाधिकारों पर आधारित ठोस संकेतकों का समावेश करना चाहिए ताकि ‘स्मार्ट सिटीज़’ सहित सभी भारतीय शहरों में जीवन की गुणवत्ता व स्तर का सार्थक आकलन किया जा सके। इस मिशन का क्रियान्वयन टिकाऊ विकास एजेंडा 2030, पेरिस एग्रीमेंट और न्यू अर्बन एजेंडा जैसी अंतर्राष्ट्रीय संधियों के तहत भारत सरकार की कानूनी प्रतिबद्धताओं के अनुरूप होना चाहिए। इसके अलावा, भारत की तीसरी सार्वभौमिक सावधिक समीक्षा की सिफारिशों को भी लागू किया जाना चाहिए।
12. प्राइवेसी के अधिकार और आवास के अधिकार को मान्यता देने वाले फैसलों सहित सभी प्रगतिशील अदालती फैसलों का पालन किया जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघियों और विशेष प्रक्रियाओं की सिफारिशों, खासतौर से ‘स्मार्ट सिटीज़’ के संबंध में पर्याप्त आवास विशेष संवीक्षक (स्पेशल रेपर्टर्य) के सुझावों को भी लागू किया जाना चाहिए।

स्मार्ट सिटीज़ मिशन के बारे में पैदा हो रही बहुत सारी चिंताओं और चुनौतियों को देखते हुए एचएलआरएन को उम्मीद है कि सभी सरकारी और गैर-सरकारी एजेंसियां उपरोक्त सिफारिशों को लागू करने पर गंभीरता से विचार करेंगी ताकि इन चिंताओं और चुनौतियों से बचा जा सके।

केंद्र एवं राज्य, दोनों स्तर पर सरकारों को ‘स्मार्ट सिटीज़’ मिशन सहित अपनी सभी योजनाओं व नीतियों में मानवाधिकारों पर आधारित पद्धति अपनानी चाहिए। ‘स्मार्ट सिटीज़’ के स्थान पर ‘मानवाधिकारों के अनुकूल बस्तियां’ विकसित करने पर ज्यादा जोर दिया जाए तो यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि गरीबों और हाशियाई तबकों को किसी तरह का नुकसान न हो और उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा हो। अगर सरकार ऐसे कदम उठाती है तो भारत टिकाऊ विकास लक्ष्य और पेरिस एग्रीमेंट के लक्ष्यों सहित बहुत सारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और नैतिक प्रतिबद्धताओं का पालन कर सकेंगी और यह उम्मीद की जा सकेगी कि हम समावेशी, समतापरक, टिकाऊ और संतुलित शहरी-ग्रामीण विकास का लक्ष्य हासिल कर पाएंगे।

अधिक जानकारी के लिए कृपया संपर्क करें -

आवास और भूमि अधिकार संगठन

G-18/1, निज़ामुद्दीन वेस्ट नई दिल्ली – 110013

+91-11-4054-1680/ contact@hlrn.org.in

www.hlrn.org.in